



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 22 अगस्त, 1971

श्रावण 31, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3733/सत्रह—98-71

लखनऊ, 22 अगस्त, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, 1971 पर दिनांक 22 अगस्त, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 को पांच वर्ष को अग्रेतर अवधि के दौरान जारी रखने का व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

(2) यह 30 जून, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 की धारा 1 की उपधारा (4) में अंक तथा शब्द "30 जून, 1971" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून, 1976" रख दिये जायें।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1955 की धारा 1 का संशोधन

उत्तर प्रदेश 3—उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, 1971 एतद्वारा निरस्त किया
अध्यादेश संख्या जाता है।
12, 1971 का
निरस्तन।

No. 3733/XVII—98-1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhandar Adhigrahan (Jari Rakhne Ka) Adhinyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 22 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 22, 1971.

**THE UTTAR PRADESH STORAGE REQUISITION (CONTINUANCE)
ACT, 1971**

(U. P. ACT NO. 22 OF 1971)

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN
ACT

to provide for the continuance during a further period of five years of the provisions of the Uttar Pradesh Storage Requisition Act, 1955

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Storage Requisition (Continuance) Act, 1971.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th June, 1971.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. XXI of 1955.

2. In sub-section (4) of section 1 of the Uttar Pradesh Storage Requisition Act, 1955 for the words and the figures "30th day of June, 1971", the words and the figures "30th day of June, 1976" shall be substituted.

Repeal of U. P. Ordinance no. 12 of 1971.

3. The Uttar Pradesh Storage Requisition (Continuance) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

आज्ञा से,